अपील /23/2020 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

विनय कुमार पुत्र श्री खेमचंद जाति वैश्य निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील नदबई

...... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 21–10–2020 बाबत आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर बाके ग्रांम कांसगज तहसील नदबई।

उपस्थित :–

1–श्री हनुमानप्रसाद गोयल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 14.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 21–10–2020 पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 30/0.03 में बिना भूमि रुपान्तरण कराये भूमि को वाणिज्यक उपयोग में लेने के कारण तहसीलदार नदबई ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी अपीलान्ट के निमार्ण को अवैध मानते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी नदबई के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली मिसिल नत्थीबद्ध की गई। तहसीलदार नदबई से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नायव तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश विस्तृत

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश नहीं है। अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 30 के रकवा 0.03 ऐयर पर गलत रुप से अतिक्रमी माना है। विवादित आराजी खसरा नम्बर अपीलान्ट की खातेदारी का है जिसमें अपीलान्ट ने चारदीवारी सुरक्षा के लिये बना रखी है। आराजी खसरा नम्बर 30/0.03 ऐयर रकवा पर कोई निर्माण वाणिज्यक गतिविधी नहीं किया है। विवादित आराजी नगर पालिका क्षेत्र में आती है तहसीलदार को धारा 90ए के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को उसके खातेदारी रकवे से वेदखल नही किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादित आराजी पर माननीय सिविल न्यायालय को आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश के होते हुये वेदखल की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

तहसीलदार नदबई ने अपने कथनों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 30/0.03 ऐयर रकवा पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण गोदाम निर्माण कर वाणिज्यक गतिविधि चालू कर रखी हैं। अपीलान्ट ने विवादित आराजी का सक्षम अधिकारी से भूमि रुपान्तरण नहीं कराया गया है। ऐसे निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं तहसीलदार नदबई के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया, तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि रिपोर्ट पटवारी गिदार्वर से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 30/0.03 ऐयर पर गोदाम चारदीवारी बनाकर वाणिज्यक गतिविधी कर रखी है। कृषि भूमि को बिना रुपान्तरण कराये वाणिज्यक उपयोग में लेना अपीलान्ट का नियमों के विपरीत कृत्य है। तहसीलदार ने नियमों के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 पारित किया है।

पत्रावली में उपलब्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर के आदेश दिनांक 03.10.2023 प्रकरण उनवानी विनय कुमार बनाम राज0सरकार वगै0 दीवानी प्रकरण संख्या 518/2023 का अवलोकन किया गया, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में पारित किया है जो इस प्रकार है –

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /23/2020
विनय कुमार बनाम राज.सरकार

"..........अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व2 पठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला मूलवाद प्रार्थी की जायदाद में रंग पीला मार्क ए,बी,सी,डी,ई एफ, जी,एच,आई,जे,के,एल, नक्शा में कोई तोड़फोड़ न करें, रास्ता कायम न करें, प्रार्थी को जायदाद के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें, जबरदस्ती बेदखल न करें व कार्यवाही भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर एवं आराजी खसरा नंबर 32 रकवा 32 एयर कुल 35 में से 2798 वर्गमीटर बाके कांसगज तहसील नदबई के बावत् न करे..........।"

माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर के उक्त निर्णय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर एवं आराजी खसरा नंबर 32 रकवा 32 एयर कुल 35 में से 2798 वर्गमीटर बाके कांसगज तहसील नदबई के बाबत् स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को लेकर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण मे निर्णय होने तक तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश स्थगित किया जाना उचित पाते हैं। विवादित आराजी पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर का जो भी निर्णय पारित हो तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण मे निर्णय होने तक तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 स्थगित किया जाता है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भरतपुर के निर्णय उपरान्त, तद्नुसार कार्यवाही करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार नदबई को वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर